

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक - 26.08.2025

**थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 04 बाल
अपचारियों को चोरी के सामान सहित किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 109/2025 धारा 305(A)/331(3) BNS से सम्बन्धित 04 वांछित बाल अपचारी को थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चोरी के सामान तथा चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।



गिरफ्तार बाल अपचारियों का विवरण-

01. 04 बाल अपचारी।

प्रेस नोट -थाना कम्पिल

दिनांक - 26.08.2025

विशेष चैकिंग अभियान के दौरान थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरिश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में चलाये गये विशेष चैकिंग अभियान के दौरान थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त वीर सिंह पुत्र स्व० रामस्वरूप नि० नारायणपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कम्पिल पर मु०अ०सं० 140/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. वीर सिंह पुत्र स्व० रामस्वरूप निवासी नारायणपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि तमंचा मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण -

1. एक देशी तमंचा 315 बोर
2. एक जिंदा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त वीर सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 140/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 27/25 धारा 115(2)/333/352 बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 33/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 222/22 धारा 323/504/506/341 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 74/21 धारा 60 आवकारी अधि0 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
6. मु0अ0सं0 164/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
7. मु0अ0सं0 197/2019 धारा 452/323/354/504/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
8. मु0अ0सं0 338/2017 धारा 323/325/504 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
9. मु0अ0सं0 170/17 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
10. मु0अ0सं0 246/16 धारा 307/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
11. मु0अ0सं0 255/14 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
12. मु0अ0सं0 176/2014 धारा 429/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
13. मु0अ0सं0 52/2014 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
14. मु0अ0सं0 236/2013 धारा 452/323/504 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
15. मु0अ0सं0 263/2012 धारा 452/323/504 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
16. मु0अ0सं0 49/12 धारा 307/504/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
17. मु0अ0सं0 48/2012 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़
18. मु0अ0सं0 449/2009 धारा 323/324/504 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम -

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार
2. का0 गुलशन ध्रुव
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार
4. का0 टिल्लू कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



प्रेस नोट

दिनांक :- 26.08.2025

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान की गई कार्यवाही ।

दिनांक 25/26.08.2025 की रात्रि को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व समस्त क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में होटल/ढाबा,ATM/बैंक पिकेट, पेट्रोल पंप ,बॉर्डर चैकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्यवाही की गई:

1. चेकिंग के दौरान कुल 365 दोपहिया व 230 चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई।
2. संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कुल 682 लोगों से पूछताछ व चेकिंग की गई।



चेकिंग के दौरान सराहनीय कार्य-

- कोतवाली मोहम्मदाबाद पर 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- थाना नवाबगंज क्षेत्र से 01 अभियुक्त के कब्जे से 20 देशी शराब के अवैध पक्वे व 01 अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा मय 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। बरामदी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- थाना कम्पिल क्षेत्र से 01 अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। बरामदी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



इस प्रकार की नियमित चेकिंग आगे भी जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखी जा सके एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

जनपद फतेहगढ़ पुलिस जनता से अपील करती है कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112, नजदीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7839856742 पर दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट- थाना कमालगंज

दिनांक - 26.08.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/2025 धारा 64 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2025 धारा 64 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त समरपाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम श्रृंगीरामपुर सैरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. समरपाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम श्रृंगीरामपुर सैरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण- दिनांक 25.08.2025 को वादी मुकदमा ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना पर तत्काल थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/2025 धारा 64 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम समरपाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम श्रृंगीरामपुर सैरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त समरपाल को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त समरपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने जुर्म की माफी करते हुए अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त समरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 276/2025 धारा 64 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार गौतम
4. आरक्षी रोहित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।